

प्रारूप-2
(नियम-24(1) देखें)

झारखण्ड सरकार,

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का कार्यालय, रामगढ़

सं०- 09/2012

तारीख-07/08/2012

भवन निर्माण और अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियम और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1996 की धारा-7 की उपधारा-3 के और अधिनियम के अधीन बनाये गए नियमों के अधीन, उपाबद्ध में अधिकथित शर्तों के अधीन रहते हुए **Green Ville, Village-Muramkala, PO.-Ramgarh, Dist.-Ramgarh** को निम्नलिखित विशिष्टियों से युक्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।

1- नियोजक का नाम और पता-

Pradeep Modi, Gandhi Chowk, upper Bazar, Ranchi

2- उस स्थान का डाक पता/अवस्थिति जहाँ नियोजक द्वारा- भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य किया जाना है।

MuramKala, NH-33, Ramgarh

3- स्थापन का नाम और स्थायी पता

**Green Ville, C/O- Pradeep Modi, Gandhi Chowk, Upper Bazar, Ranchi
Multi Stories Building**

4. उस कार्य की प्रकृति जहाँ भवन निर्माण कर्मकार - नियोजित हैं या नियोजित किये जाने है।

5. नियोजक द्वारा किसी भी दिन नियोजित किये जाने वाले- भवन निर्माण कर्मकारों की अधिकतम संख्या

50 Labour

6. कार्य के प्रारम्भ होने और समाप्त होने की संभावित तारीख-
7. भवन निर्माण कर्मकारों के नियोज के लिए सुसंगत अन्य-
विशिष्टियां।

Aug 2012 to July 2015-2017

Rs. 362.00

26.7.17

Aug. 17th July, 2019 रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी



भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियम अधिनियम 1996 के अन्तर्गत, रामगढ़।)
रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियम अधिनियम 1996 के अन्तर्गत, रामगढ़।)
रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियम अधिनियम 1996 के अन्तर्गत, रामगढ़।)

उपाबद्ध

यहाँ उपर प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात्:-

(क) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र अस्थानांतरणीय होगा,

(ख) किसी भी दिन नियोजित कर्मकारों या स्थापना में भवन निर्माण कर्मकारों की सं०- 50

(ग) इन नियमों में यथा उपबंधित के सिवाय, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के प्रदान के लिए संदत्त की गई फीस अप्रतिदेय होगी, Rs. 362, SBI

Ramgarh in A/C No.- 30613895935

(घ) भवन निर्माण कर्मकारों को नियोजन द्वारा से देय मजदूरी दरें, ऐसे नियोजन में जहाँ वह लागू है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,

1948(1948 का 2) के अधीन निर्दिष्ट दरों से कम नहीं होगी और जहाँ दरें किसी करार, समझौते या पंचात द्वारा नियत की गई हैं,

वहाँ इस प्रकार नियत दरों से कम नहीं होगी।

(ङ) नियोजक अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों के उपबंधों का अनुपालन करेगा।